

तारीख हकूम नम्बर व तारीख अहकाम वां हकूम हकूम की तारीख में जारी हुए

<p>30.08.2019</p>	<p>यह प्रार्थना पत्र में राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी सकरू खां पुत्र कालू जाति भिखी न्यामा तहसील सुजानागढ़ जिला यूके ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुतिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाते। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम न्यामा की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में नया खाला खंखा 4 पुराना खाला खंखा 4 में वादी का नाम राजस्व रिपोर्ट में सकरू खां पुत्र कालू जाति भिखी न्यामा तहसील सुजानागढ़ दर्ज है। रिपोर्ट में सकरू खां पुत्र कालू जाति भिखी न्यामा तहसील सुजानागढ़ दर्ज है। जो गलत है। वादी का नाम आधार कार्ड परिवध पत्र व अन्य दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी का नाम सकरू खां पुत्र कालू जाति भिखी न्यामा तहसील सुजानागढ़ है। वादी का नाम सकरू खां पुत्र कालू जाति भिखी न्यामा तहसील सुजानागढ़ है। वादी का नाम सकरू खां पुत्र कालू जाति भिखी न्यामा तहसील सुजानागढ़ है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व दस्तावेजों तथा उप तहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम न्यामा तहसील सुजानागढ़ जिला यूके की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में नया खाला खंखा 4 पुराना खाला खंखा 4 में दर्ज प्रविष्टि की निम्नलिखित रूप से हुई किया जाकर राजस्व रिपोर्ट में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>ग्राम</th> <th>खाला संख्या</th> <th>वर्तमान प्रविष्टि (अंश)</th> <th>आदेश (युद्ध प्रविष्टि का राजस्व रिपोर्ट में दर्ज की जानी है)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>न्यामा</td> <td>4</td> <td>सकरू खां पुत्र कालू जाति भिखी न्यामा</td> <td>सकरू खां पुत्र कालू जाति भिखी न्यामा</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अंश)	आदेश (युद्ध प्रविष्टि का राजस्व रिपोर्ट में दर्ज की जानी है)	1	न्यामा	4	सकरू खां पुत्र कालू जाति भिखी न्यामा	सकरू खां पुत्र कालू जाति भिखी न्यामा
क्र. सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अंश)	आदेश (युद्ध प्रविष्टि का राजस्व रिपोर्ट में दर्ज की जानी है)							
1	न्यामा	4	सकरू खां पुत्र कालू जाति भिखी न्यामा	सकरू खां पुत्र कालू जाति भिखी न्यामा							
<p>तारीख हकूम नम्बर व तारीख अहकाम वां हकूम हकूम की तारीख में जारी हुए</p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर, सुजानागढ़ उपखण्ड अधिकारी एवं</p> <p>सुनाया गया।</p> <p>निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानागढ़ को भिजाई जाये। पत्रावली निर्णय में ग्रामार हाकर हस्त जाबा दाखिल दर्पणर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>										

2019
 00147
 Rems